राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– बिरकाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 34 सन 2018

अनवान :–

1. सत्यवीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. राजबाला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
4. शकुन्तला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
5. माया पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. कविता पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 11.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप मे तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 11 जेएसएन के खाता संख्या 3 की कुल 21.00 बीघा भूमि वादी के दाद ख्यालराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके दो पुत्रों पर औद हुई एवं वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से वादी के दादा के देहान्त होने पर दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जोवादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया हे इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम बहिब दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा ख्यालराम पुत्र मोटाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 103/96 की कुल 2.593हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 मे लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी

~~राजस्व लोक दालत~~–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–बिरकाली

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–बिरकाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सत्यवीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 मनीराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. राजबाला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
4. शकुन्तला पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
5. माया पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. कविता पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 35 सन 2018 निर्णय दिनांक–11.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 103/96 की कुल 2.593हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
~~राजस्व लोक दालत~~–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–बिरकाली